2025/558

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

कान्ता बनाम मंगलाराम आदि

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 396 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
10.07.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 24.07.2025 को पेश हो।	
15.7.2025	वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र मिसल पेशी पेश करते पर प्रतिवादी को पेशी में लिया गया। बकुलाए फरिकेन उपस्थित। प्रतिवादी का/ता ने जरिये श्री अजय कुमार उपस्थित आकर इकबाल दावा पेश किया। जिसे दाखिल फर्द किया गया। प्रतिवादी वास्ते स्टेट जवाब अगली तारीख 28.7.2025 को पेश हो।	मंगलाराम बबलू गंगाराम सुरेन सोनू जसवीर
10.7.2025	बकुलाए फरिकेन उपस्थित। स्टेट जवाब प्राप्त हुआ। बहस सुनी गई। प्रतिवादी का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी पर उपबन्ध रिकार्ड की वादी प्रतिवादी की सहमति के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखा जाकर दाखिल फर्द किया जावे। प्रतिवादी मकान से कब्जा की जाकर प्रतिवादी को वादी को जाकर दाखिल दफतर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.07.24 15:57:56 IST
Reason: SelfAttested